

23-8-2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गजेन्द्र सिंह एवं प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या- 3(तीन) के वकील उपस्थित। प्रार्थी गजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- तुआ, तह. व जिला- सिराही एवं प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस निगरानी आवेदन को प्रार्थी द्वारा आगे चलाना नहीं चाहने से पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए NOT PRESS किया है। अतः प्रार्थी द्वारा पुनः निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन, जरिये NOT PRESS खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।।

भति जिला कलक्टर
सिराही (राज.)

मुख्य निगरानी प्रार्थी
पत्रावली अंकित
07/08/2024
द्वारा प्रस्तुत
किया गया है
उपरोक्त
प्रार्थी

